परिपत्र सं.25/2017-सीमाशुल्क

फा.सं. 450/28/2016-सीमाशुल्क-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक, 30 जून, 2017

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क उत्पाद एवं सीमाशुल्क

सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक)

सभी प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क/ आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक)

विषय: सीमाशुल्क (आयातित सामान पर शुल्क की रियायती दर) नियमावली, 2017- कार्यान्वयन की बाबत-

महोदय/महोदया,

बजट 2016-17 में सरकार ने सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क लगने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए, रियायती दरों पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया था। यह नियम एक आयातक पर विनिर्माता होने के नाते, जोकि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जारी होने वाली छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना के लाभों को प्राप्त करना चाहता है तथा जहां इस प्रकार की छूट के लाभ इस सूचना में किसी उत्पाद शुल्क लगने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आने वाली आयातित वस्तुओं पर निर्भर थे। यह विनियम आयातित वस्तुओं के संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित आवेदित किए गए थे जिनको आगे विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए किए जाने के स्थान पर सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया था।

2. वस्तु एवं सेवाकर, आगमन के साथ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू उत्पाद इत्यादि जैसी कुछ वस्तुओं के अलावा लागू नहीं होगा। इस सीमाशुल्क नियमावली को ध्यान में रखकर (उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए वसतुओं का रियायती दरों पर आयात) नियमावली,

2017 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह नियमावली 01.07.2017 (अधिसूचनासं० [68/2017-सीमाशुल्क (गै०टे०) दिनांक 30.06.2017] से प्रभावी होगी।

3. जहां तक नई नियमावली के कार्यांवयन का संबंध है, यह व्यवस्था की गई है कि नई नियमावली के द्वारा पहले वाली नियमावली के तहत केंद्रीय उत्पाद अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य नई नियमावली के तहत संपादित किए जाएंगे। इस संबंध में सीमाशुल्क अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्वहन किए गए सीमाशुल्क कार्यों के हस्तांतरण के संबंध में क्षेत्रीय संगठनों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन है। उस समय तक बोर्ड सीमाशुल्क आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की परिवर्तित अधिसूचना जारी करता है जोकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में होने वाले सीमाशुल्क कार्यों का संपादन करेगा। इस नए नियम में उन उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुकत, सीमाशुल्क जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा परिसर आता है, को सौंपे गए कार्य यथावत जारी रहेंगे जिनको उन केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के अधिकारी उसी तरह पूरा करते रहेंगे जैसा कि पहले करते आएं हैं। तथापि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी सीमाशुल्क अधिकारियों का सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में आवश्यक कानूनी सशक्तीकरण पहले से ही मौजूद है इसलिए नए अधिनियमों के अनुपालन में कोई कठिनाई नहीं आएगी।

4. इस संबंध में किसी भी कठिनाई को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

भवदीय

(जुबेर रियाज)
निदेशक (सीमाशुल्क)
दूरभाष: 011-23093908